Research Paper Media

महिला सुरक्षा एप्स : अवसर और चुनौतियां (Mahila Surksha Apps: Avasar Aur Chunotiya)

डॉ. विजय प्रकाश

सहायक आचार्य, पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग, शिया पीजी कॉलेज, लखनऊ|

ABSTRACT

डिजिटल इंडिया जैसी नीतियां सूचना क्रांति को भारत के कोने-कोने तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं| तो वहीं स्मार्टफोन के जरिए बढ़ता संचार ढांचा लोगों की जिन्दगी का अहम हिस्सा बनता जा रहा है| कन्वर्जेन्स के दौर में सभी माध्यम ऑनलाइन शिफ्ट होते जा रहे हैं| इन्टरनेट पर उपलब्ध एक रिपोर्ट के अनुसार आज भारत में लगभग 20 करोड़ स्मार्टफोन यूजर्स मौजूद हैं, जिनकी संख्या प्रतिक्षण बढ़ती जा रही है| यदि इन स्मार्टफोन यूजर्स में महिलाओं की संख्या की बात करें तो लगभग 40 फीसदी महिलाएं स्मार्टफोन यूजर्स में शामिल हैं| एंड्रायड के जरिए एप्स बेस्ड तकनीक काफी लोकप्रिय साबित हुई है| शॉपिंग, ट्रेवलिंग, फ़ूड, टिकटिंग, बैंकिंग और मीडिया आज सभी एप्स के जरिए लोगों को उपलब्ध हो रहे हैं| कह सकते हैं कि ई-कॉमर्स, ई-गवर्नेंस और ई-कम्युनिकेशन के क्षेत्र में एप्स की भरमार है| आज महिला सुरक्षा जो कि सबसे ज्वलंत मुद्दा है से सम्बंधित बहुत से एप्स मौजूद हैं| आज प्ले स्टोर पर बहुत से एप्स हैं जो संकट के समय महिलाओं को मदद पहुंचाने हेतु डेवलप किए गए हैं| प्रस्तुत शोध पत्र में महिला सुरक्षा एप्स की महिला की सुरक्षा में अवसर एवं चुनौतियों की पड़ताल की गई है| विमर्श के विश्लेष्ण एप्स के जरिए महिला सुरक्षा के प्रति सकारात्मक पहल को दर्शाता है| महिला सुरक्षा से सम्बंधित अनेक अवसरों की बात समाने आती है| साथ ही साथ प्रत्येक महिला तक इसकी पहुंच और प्रयोग से सम्बंधित चुनौतियां उजागर होती हैं|

KEYWORDS

एप्स, सूचना संचार तकनीक, महिला सुरक्षा, अवसर, चुनौतियां|

भूमिका

पूरे विश्व में मानव के अमानवीय व्यवहार का खतरा सबसे बड़ी चुनौती बनता जा रहा है| मानव के अमानवीय व्यवहार से सबसे ज्यादा महिलाएं प्रभावित हो रही हैं| महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान की लड़ाई वर्षों से चली आ रही है| देश-विदेश हर जगह से नारी पर अत्याचार संबन्धित खबरों से मीडिया की सुर्खियां भरी रहती हैं| सामाजिक ताने-बाने को अस्तित्व प्रदान करने वाली महिलाएं अपने वजूद को बचाने में लाचार नजर आती हैं| एक तरफ जहां महिलाओं के प्रति समाज का रवैया क्रूरता की हदें पार कर रहा हैं वहीं दूसरी ओर बदलते दौर में महिलाएं सामाजिक और आर्थिक दृष्टी से खुद को मजबूत करने की होड़ में शामिल हो गई हैं| तेज रफ़्तार जिन्दगी में सामाजिक लगाम के साथ महिलाएं कहीं भी पुरुषों से कम आंकी नहीं जा रही हैं| बात चाहे पेप्सिको की सीईओ इंदिरा नोई की हो या कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी या फिर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज नारी सशक्तिकरण के नायाब उदाहरणों में शामिल हैं| दामिनी, निर्भया और तमाम ऐसे उदाहरण भी हैं जो समाज में स्त्रियों की सुरक्षा को तार-तार कर महिलाओं की प्रगति के बाधक नजर आते हैं| आए दिन हजारों की संख्या में महिलाएं ऐसी घटनाओं की शिकार हो जाती है| महिला अपराध को कम करने और देश में महिलाओं को सुरक्षित जीवन स्तर प्रदान करने के लिए देश में अनेक कानून बनाए गए हैं| वर्तमान में तकनीक के जरिए महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए स्मार्टफोन एप्स का विकास किया जा रहा है| आज बहुत से एप्स मौजूद हैं, जो महिलाओं को संकट से समय मदद पहुंचाने में सक्षम हैं| इन एप्स को स्मार्टफोन में इंस्टाल कर प्रयोग किया जा सकता है| ये एक क्लिक से एक्टिव हो जाते हैं और महिला द्वारा एप्स में दिए गए नंबर पर मैसेज या काल खुद बा खुद करने लगते हैं| साथ ही साथ फोन की लोकेशन भी ट्रैक हो जाती है| इससे यह पता चल जाता है कि उक्त महिला उक्त स्थान पट संकट में है| इससे उसको मदद पहुंचाने में बहुत आसानी हो जाती है|

महिलाओं के विरुद्ध अपराध

माँ, बहन, पत्नी एवं बेटी जैसे तामाम किरदार हमारे जीवन का अहम हिस्सा हैं| हमारा अस्तित्व बिना नारी के संभव ही नहीं है| महिलाओं को समाज का मुख्य आधार माना गया है| इन तमाम बातों के बावजूद महिलाओं का सम्मान एवं सुरक्षा हमेशा से ही दांव पर रही है| वर्तमान परिदृश्य में मानव के अमानवीय व्यवहार से सबसे ज्यादा महिलाएं ही प्रभावित हैं| महिलाओं के विरुद्ध अपराध की बात करें तो बलात्कार, हत्या, अपहरण, विमेंस ट्रैफिकिंग, दहेज़ उत्पीड़न एवं घरेलू हिंसा आदि शामिल हैं|

महिला सुरक्षा कानून

भारत में महिलाओं के विरद्ध अपराधों को मद्देनजर रखते हुए, बहुत से महिला सुरक्षा कानून लागू किए गए हैं| जिनके तहत दोषियों के लिए दण्ड का प्रावधान किया गया है| वर्तमान सरकार द्वारा महिला सुरक्षा को प्रथामिका दी जा रही है| इसी क्रम में केंद्रीय सरकार ने महिलाओं के यौन शोषण के मामले में 16 साल के दोषी को भी बालिग की श्रेणी में रखने का प्रावधान किया है, इस कानून के लागू होने से पूर्व 18 वर्ष की आयुवर्ग वाले अपराधियों को बालिग की श्रेणी में रखा जाता था| निर्भया कांड के बाद निर्भया कानून ससंद द्वारा बनाया गया है, जिसमें महिलाओं के मानसिक एवं शारीरिक उत्पीड़न जैसे अपराधों को विभिन्न श्रेणियों में बांटकर कठोर दण्ड व्यवस्था का प्रावधान किया गया है| इसके अतरिक्त हत्या, बलात्कार, दहेज उत्पीड़न एवं घरेलू हिंसा आदि से संबंधित कानून पहले से ही देश में लागू हैं|

महिला सुरक्षा एप्स

स्मार्टफोन का चलन तेजी से बढ़ रहा है| वर्तमान में भारत में लगभग 20 करोड़ स्मार्टफोन यूजर्स मौजूद हैं| इन प्रयोगकर्ताओं में 40 फीसदी महिलाएं शामिल हैं| आज शॉपिंग, बैंकिंग, टिकटिंग, कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया, ऑफ़लाइन डाटा ट्रांसफर, फूड्स, गेम्स, इंस्टेंट मैसेजिंग, मीडिया हाउसेस, कृषि सूचना एवं डिवाइस सुरक्षा आदि से सम्बंधित तमाम एप्स मौजूद हैं| इसी क्रम में सरकारी एवं निजी संस्थाओं द्वारा महिला सुरक्षा एप्स की भी शुरुआत की गई है| महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते अपराधों से महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए इन एप्स को विकसित किया गया है| इन एप्स को महिलाएं अपने स्मार्टफोन में इंस्टाल कर अपने को सुरक्षा घेरे में कर सकती हैं| ये एप्स संकट के समय क्लिक मात्र से एक्टिव हो जाते हैं और महिला द्वारा एप्स में दिए गए नंबर्स पर मैसेज एवं कॉल कर सूचित करते हैं| साथ ही इन एप्स के एक्टिव होते ही महिला की लोकेशन भी आसानी से ट्रैक हो जाती है, जिससे संकट में फंसी महिला को मदद पहुंचाना आसान हो जाता है| स्क्रीम अलार्म, सेंटिनल: वीमेन सिक्योरिटी, आईएम सेफ, फाइट बैक वीमेन सिक्योरिटी, विमेंस सेफ्टी, सर्कल्स ऑफ़ सिक्स, मी अगेंस्ट रेप, सस्पेक्ट्स रजिस्ट्री- फॉर वीमेन, स्मार्टशहर सेफ्टी, दामिनी एवं हिम्मत जैसे तमाम एप्स प्ले स्टोर पर उपलब्ध हैं|

महिला सुरक्षा एप्स: अवसर

किसी को भी संकट के समय मदद पहुंचाने के लिए यह आवश्यक है कि उसके संकट में होने की जानकारी समय रहते प्राप्त हो जाए,

साथ ही यह भी पता हो कि वह किस जगह पर संकट में फंसा है| महिला सुरक्षा एप्स स्मार्टफोन में इंस्टाल होने के बाद संकट के समय क्लिक मात्र से एक्टिव होकर महिला के संकट में होने की खबर देने के साथ ही साथ महिला की वर्तमान लोकेशन के बारे में भी जानकारी प्रदान करता है| वर्तमान में भारत में लगभग 8 करोड़ महिला स्मार्टफोन यूजर्स हैं| इनमें से भी 80 फीसदी महिला यूजर्स वो हैं जो कार्य के लिए घर से बाहर जाती हैं| इन महिलाओं को सुरक्षित करने में महिला सुरक्षा एप्स मदद साबित हो सकते हैं|

महिला सुरक्षा एप्स: चुनौतियां

महिला सुरक्षा एप्स एक आधुनिक तकनीक है जो कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्मार्टफोन के जरिए एक सरल एवं प्रभावशाली प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है| प्रत्येक माध्यम की कुछ सीमाएं होती है| साथ ही माध्यम को कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है| महिला सुरक्षा एप्स के प्रसार एवं प्रयोग से सम्बंधित कुछ चुनौतियां हैं जैसे प्रत्येक महिला तक इसकी पहुंच को सुनिश्चित करना और महिलाओं को इसके प्रयोग के लिए प्रेरित करना आदि|

समाज निहितार्थ

मानव मूल्यों की स्थापना करने के लिए मानव के अमानवीय व्यवहार को नियंत्रित करना आवश्यक कड़ी है| इस कार्य के लिए चाहे कानून रूपी दिवार का सृजन हो या मूल्यपरक ज्ञान का विस्तार हो, सभी का कार्य अपराधों को नियंत्रित करना है| अपराधों से लोगों को सुरक्षित करने के लिए जागरूकता भी एक बड़ा कारक है| साथ ही कुछ ऐसे उपकरणों के विकास की जरूरत महसूस की गई जो संकट में फंसे लोगों की सूचना उनके परिवार वालों और सुरक्षा एजेंसियों तक पहुंचा सके| इसी क्रम में स्मार्टफोन एप्स के जरिए महिला सुरक्षा की सोच ने महिला सुरक्षा एप्स को विकसित करने की नींव रखी है| वर्तमान में तमाम सरकारी, गैर सरकारी एवं एप्लिकेशन डेवेलपर संस्थाएं महिला सुरक्षा से संबंधित एप्स का निर्माण कर, इन एप्स को प्ले स्टोर के द्वारा मुहैया करा रही हैं| इस तरह के एप्स महिला सुरक्षा के लिए सकारात्मक नजरिया प्रदान करते हैं| साथ ही इनके प्रसार एवं प्रयोग की चुनौतियां इस दिशा में कार्य करने के संकेत देती हैं, जिससे महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी उपकरण भी अपनी भूमिका निभा सकें|

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. Gupta, O., & Jasra, A. (2002). Information Technology in Journalism. New Delhi:Kanishka , Distributors.
2. कुमार, सु. (2004). इंटरनेट पत्रकारिता. नई दिल्ली: तक्षशिला प्रकाशन.
3. Anbarasan, E. (2007). Citizen Journalism and New Media. In N. Rajan (Ed.), 21st CenturyJournalism in India. New Delhi: Sage Publications.
4. Kumar, S. (2007). The Information Revolution and the Emerging Ecology. In N. Rajan(Ed.), 21st Century Journalism in India. New Delhi: Sage Publications.
5. कुमार, रा. (2009). इलेक्ट्रानिक मीडिया एवं साइबर संचार पत्रकारिता. नई दिल्ली: श्री नटराज प्रकाशन.
6. सोनी, सु. (2009). नवीन मीडिया प्रविधियां . जयपुर: बुक एनक्लेव.
7. Arya, N. (2011). Social Media. New Delhi: Anmol Publication Pvt. Ltd.
8. Ei Chew, H., LaRose, R., Steinfield, C., & Velasque, A. (2011). The Use of Online Social Networking by Rural Youth and its Effects on Community Attachment.
9. Information, Communication & Society, 14(5), 726-747.
10. शर्मा, वि. (2011). आधुनिक पत्रकारिता प्रभाव एवं कार्य. जयपुर: इशिका पब्लिशिंग हाउस.
11. जोशी, श., एवं जोशी, शि. (2012). वेब पत्रकारिता नया मीडिया नए रुझान. नई दिल्ली: राधाकृष्ण प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड.
12. सिंह, सुरजीत (2012). मीडिया अचीवर्स. जयपुर: हार्सबैक पब्लिकेशन.
13. Martin, P., & Thomas, E. (2012). Social Media Usage and Empact. N ew Delhi: Global Vision Publishing House.
14. Mishra, R. (2012). Social networking sites as alternative tool of political communication:some grassroot experience. In A. Saxena, Issue of communication development and society. New Delhi: Kanishka Publications, Distributors.
15. Gagan, G. (2012). Social Media Networking and concept of International Citizenship. In
16. A.Saxena (Ed.), Issue of communication development and society (pp. 163-167).
17. New Delhi: Kanishka Publisher, Distributors.Mathur, P. (2012). Social Media and Networking Concept trend and dimensions (pp. 2-3).New Delhi: Kanishka Publisher, Distributors.
18. चतुर्वेदी, ज. (2013). मीडिया समग्र (भाग-3) ज्ञान-क्रान्ति और साइबर संस्कृति. दिल्ली: स्वराज प्रकाशन P., Acharya, K. (2013). Social Networking: Youth in New Millennium. Communication Today, (Oct-Dec), 75-86.
19. Gupta, K. (2013). ICT Vision 2020: A Milestone. Communication Today, (Oct-Dec), 44--53.
20. Mastrodicasa, J., & Metellus, P. (2013). The Impact of Social Media on College Students.Journal of College and Character, 14(1), 21-30.
21. Xenos, M., Vromen, A., & D. Loader, B. (2014). The great equalizer? Patterns of social media use and youth political engagement in three advanced democracies.
22. Information, Communication & Society, 17(2), 151-167.
23. Fleck, J., & Leigh, J.-M. (2015). The Impact of Social Media on Personal and Professional Lives: An Adlerian Perspective. The Journal of Individual Psychology , 71 (2),135-142.
24. http://www.indiatimes.com/technology/internet/top-10-safety-apps-for-women-64980.html.(n.d.). Retrieved March 2, 2016,